

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

दिनांक-.....

विषय:-नगर विकास एवं आवास विभाग पटना अन्तर्गत विभागीय विडियों कॉन्फ्रेंसिंग हेतु इस्तेमाल हो रहे Zoom Meeting लाईसेंस क्रय के मासिक विपत्र की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु श्री रवि रंजन, प्रोग्रामर द्वारा समर्पित विपत्र का भुगतान हेतु रू0 13,452/- (तेरह हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में e-Governance मद में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

नगर विकास एवं आवास विभाग पटना अन्तर्गत विभागीय विडियों कॉन्फ्रेंसिंग हेतु इस्तेमाल हो रहे Zoom Meeting लाईसेंस क्रय दिनांक-10 मई 2026 से 09 जून 2026 तक एवं 10 जून 2026 से 09 जुलाई 2026 तक के मासिक विपत्र की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु श्री रवि रंजन, प्रोग्रामर द्वारा क्रमशः 6726/- एवं 6726/- रुपये मात्र का समर्पित विपत्र की समेकित कुल राशि रू0 13,452/- (तेरह हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र का e-Governance मद में सहायक अनुदान व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

2 उक्त स्वीकृति रू0 13,452/- (तेरह हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडा के पी0एल0 खाता सं0-PBBPLA015, HOA संख्या-00-8448-00-120-0035-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से ऑनलाईन हस्तांतरित किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। बुडा द्वारा उक्त राशि श्री रवि रंजन, प्रोग्रामर को उनके द्वारा उपलब्ध कराये बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

3 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1496 दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नम्बर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4 वित्त विभाग के संकल्प सं0-573 दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009 9736 दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

5 कुल स्वीकृति रू0 13,452/- (तेरह हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएँ, लघु शीर्ष-001, निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0101-ई0-गवर्नेस/नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु विपत्र कोड-48-2217050010101, विषय शीर्ष-31-06 सहायक अनुदान और-गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

6 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7 आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- K/2/2026-SEC-8 UDHD DEPT के Note#14/टि0 पर दिनांक-07.07.2026 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति Note#17/टि0 पर दिनांक-08.07.2026 को प्राप्त है।

8 इसकी सूचना अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

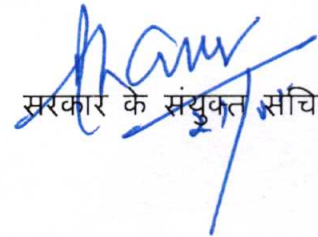
विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- सं०सं०- K/2/2026-SEC-8 UDHD DEPT ---¹¹¹-----/ पटना, दिनांक-^{22.2.20}...

प्रतिलिपि-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 03, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।